रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21022025-261210
CG-MH-E-21022025-261210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946
No. 109]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 143(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परमाणु ऊर्जा विभाग (नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) भर्ती नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो परमाणु ऊर्जा विभाग में नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाद की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अ-चयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नियंत्रक,भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रुपए)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अ्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
समेकित पद्धति से (प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति)।	निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा: I. परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी या इंजीनियर:- (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क (131100 - 216600 रुपए) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; II. अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क (131100 - 216600 रुपए) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100 - 215900 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात्: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक; (ii) सरकारी कार्यालय या स्वायत्त संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्मिक प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, वित्त, खरीद और सूची प्रबंधन के क्षेत्रों में अपेक्षित अनुभव।

	टिप्पण-1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, अर्थात निदेशक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100 - 215900 रुपए) में जिन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक संवर्ग में परमाणु ऊर्जा विभाग में नियमित आधार पर इस श्रेणी में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, उन्हें अन्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार का चयन हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण-2: चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगा। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अठ्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र-सदस्य; 3. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग-सदस्य; और 4. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामित सुसंगत विषय में विशेषज्ञ-सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 19/9/2021-सीसीएस/2556]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th February, 2025

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Atomic Energy (Controller, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller, Bhabha Atomic Research Centre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Controller, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.